भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3642

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें

3642. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों से आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और और इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति क्या रही;
(ग) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मध्यम एवं निम्न आय वाले परिवारों पर बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार के पास खाद्य, ईंधन और परिवहन जैसी आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए लक्षित सब्सिडी या राहत पैकेज प्रदान करने की कोई योजना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में 566 मूल्य निगरानी केंद्रों के माध्यम से चावल, दालें, प्याज और टमाटर सहित 38 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति नियमित रूप से इन वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा करती है तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए उनकी उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में खुदरा मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत (2022-23) से लगातार घटकर 5.4 प्रतिशत (2023-24) और फिर 4.6 प्रतिशत (2024-25) हो गई है, जो पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम है। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसतन 2.7 प्रतिशत तक गिर गया जो जून 2025 की तिमाही में 2.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही तक जारी रही और जून 2025 में (-) 1.06 प्रतिशत के साथ ऋणात्मक क्षेत्र में पहुंच गई, जो जनवरी 2019 के बाद न्यूनतम है।

(ग) और (घ): मुद्रास्फीति में, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में इसकी कमी का श्रेय मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने तथा मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों पर बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई अग्रसक्रिय उपायों को दिया जा सकता है। इन उपायों में आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक में वृद्धि, खरीदे गए अनाज की खुले बाजार में योजनाबद्ध बिक्री, आयात को सुविधाजनक बनाना और कम आपूर्ति की अवधि के दौरान निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक सीमाओं को लागू करना, भारत ब्रांड के तहत चुनिंदा खाद्य पदार्थों की रियायती दरों पर खुदरा बिक्री, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न का संवितरण, और आयकर से ₹12 लाख (और मानक कटौती के साथ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख) तक की वार्षिक आय को छूट देकर व्यक्तियों की

प्रयोज्य आय में वृद्धि करना शामिल हैं। ईंधन तथा परिवहन-संबंधी मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने हेतु सरकार ने कई और उपाय शुरू किए हैं जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लगभग 10.33 करोड़ लाभार्थियों के लिए ₹300 प्रति लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी प्रदान करना, राज्यों के भीतर दूरदराज के क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए अंतः-राज्यीय माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाना, कच्चे तेल का स्वदेशी अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत के ऊर्जा मिश्रण (एनर्जी मिक्स) में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी में बढोतरी करना। केंद्र सरकार ने दो किस्तों (नवंबर 2021 और मई 2022) में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹13/लीटर और ₹16/लीटर की कमी की, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों ने और राहत प्रदान करने के लिए अपनी वैट दरों को कम किया। मार्च 2024 में, तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कमी की। अप्रैल 2025 में, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की गई, हालांकि, इस वृद्धि का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ।

****